

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

कार्य प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
24/22	212 RTA	कुर्था	राज
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
सुमित्रा	बनाम	राजसिंह कोठ	

2022/183

वकील :- शरदिंद प्रताप सिंह एडवो.

आदेश पत्रक

वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
22/4/22	<p>अभिभाषक प्राची द्वारा प्रा.पत्र अंतर्गत धारा 212 RTA विरुद्ध अप्राची गणों के उक्त न्यायालय में पेश किया गया रिपोर्ट सखिस्ता का अवलोकन किया गया वकील प्राची की एक पक्षीय कदम सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया ग्राम कुर्था की आशजी ख. नं. 217 रकबा 0.11 बीघा भूमि के रिकार्डों के सम्बन्धित पत्रों पर रवेत हेतु जांच पेश होने तक अप्राची गणों को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से जांच किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि, प्राची के कहे अनुसार आशजी पर किसी प्रकार की दखलबाजी न हो सके। और न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तथा दात रहन वेचन आदि न करें। प्रकरण दर्ज सप्ति. किया जावे तथा अप्राची गणों को जरिये समत तलक कर पत्रावली दिनांक 9/5/22 को पेश हो।</p>	
9/5/22	<p>अपने नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 22.1.61.22 को पेश हो।</p> <p>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारा)</p>	
22/6/22	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची उपस्थित अप्राची-कम 1 ता 9 की कोट ले सी राजेग लोकर एडवोकेट द्वारा अडरटेकिंग पेश की गई है। प्रमिनी कम 10 लावगूड रूपका है, अनुपातिक। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्तव-</p>	

पत्रावली पत्र उड़ी बकाल जमी उमर कड सिधियापड
जमी हुनी गरी पत्रावली गरी कोरुम दिनांक 20-11-24
की पत्र हो



20-11-24

पत्रावली पत्र उड़ी बकाल जमी उमर जमीप, क
का करिक किया जा चुका है इत उमरप से
किया उकार भी कोरुम कार्यवाही किया उमर,
कोरुमप नही है जमी का जमीना पत्र कोरुम
किया जाग है पत्रावली केवल उकार होकर
वाड गरीप बकाल के दाखिल दफतर हो

